"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 56] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 फरवरी 2016—— माघ 27, शक 1937

वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा. कर (आब.)/पांच (05).—— छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्रमांक 2 सन् 1915) की धारा 62 की उप–धारा (2) के खण्ड (घ), (ड.), (च), (छ) एवं (ज) सहपठित छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम 1996 के नियम 18 के उप–नियम (13) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ विदेशी मदिरा नियम, 1996 में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त नियमों में :–

(1) एफ.एल.–1(घ) लायसेंस की शर्त क्रमांक–8 (क) के स्थान पर निम्नांकित शर्त क्रमांक 8 (क) प्रतिस्थापित किया जावे, अर्थात् :–

8 (क) – न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा एवं ड्यूटी राशि का विनियोजन :–

(i) विदेशी मदिरा स्प्रिट के लिए माहवार निर्धारित प्रत्याभूत मात्रा पर औसत ड्यूटी राशि की गणना रूपये 125/– प्रति प्रूफ लीटर के आधार पर किया गया है । औसत ड्यूटी राशि

की गणना निम्नानुसार किया गया है :–

क्र.	रेंज का नाम	लैंडिंग प्राइज का स्लेब	ड्यूटी दर	मासिक प्रत्याभूत मात्रा में रेंज वाइस कुल प्रतिशत	ड्यूटी राशि
1	2	3	4	5	6
1	निम्न (चीप)	रुपये 800/– तक	105/–	54.8%	5754/–
2	मध्यम	रुपये 801/–से 1100/– तक	120/–	7.9%	948/–
3	उच्च	रुपये 1101/–से 1600/– तक	140/–	22.4%	3136/–
4	उच्चतर	रुपये 1601/–से 2500/– तक	170/–	11.8%	2006/–
5	उच्चतम	रुपये 2501/–से 4000 तक	200/–	2.1%	420/–
6	प्रीमियम	रुपये 4001/– से 10000 तक	230/–	0.7%	161/–
7	उच्च प्रीमियम	रुपये 10001/– और उससे अधिक	250/–	0.3%	75/–
				100%	**12,500/–**

टीप :– ड्यूटी स्लेब की गणना छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजस कार्पोरेशन के लैडिंग प्राइज पर किया जावेगा।

(ii) "इस प्रकार अनुज्ञप्तिधारी द्वारा माह के लिए निर्धारित की गई संपूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा का उठान एवं निर्धारित की गई सम्पूर्ण ड्यूटी राशि उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा किया जाना अनिवार्य होगा। परन्तु किसी भी माह के लिए विदेशी मदिरा स्प्रिट की निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत मात्रा में से उपरोक्त सारिणी अनुसार जमा करने से शेष रही मात्रा के लिए स्लेबवार निर्धारित ड्यूटी दर अनुसार शास्ति के लिए अनुज्ञप्तिधारी दायी होगा।"

" परन्तु कम ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा का समायोजन, अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा से, ड्यूटी की अन्तर राशि का पृथकतः भुगतान पश्चात्, किया जा सकेगा। इसी अनुक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित विदेशी मदिरा दुकानों में अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की मात्रा का समायोजन, अधिक ड्यूटी दर वाली मदिरा की निर्धारित मात्रा की जमा ड्यूटी राशि पर, कम ड्यूटी दरों वाली मदिरा की मात्रा से आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा।"

2. उक्त संशोधन दिनांक 01–04–2016 से प्रवृत्त होगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 10 फरवरी 2016

क्रमांक एफ 10–5/2016/वा. कर (आब.)/पांच (05).— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10–5/2016/वा. कर (आब.)/पांच (05), दिनांक 10 फरवरी, 2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 10th February 2016

NOTIFICATION

No. F 10-5/2016/CT (Ex.)/V (05).— In exercise of the power conferred by Clause (d), (e), (f), (g) & (h) of sub-section (2) of Section-62 of the Chhattisgarh Excise Act 1915 (No. II of 1915) read along with Sub Rule (13) of Rule-18 of Chhattisgarh Foreign Liquor Rule 1996, the State Government hereby further modifies Chhattisgarh Foreign Liquor Rule 1996 as :-

AMENDMENT

1. In the above Rules :-

(1) The licence condition No.-8(a) of the Licence F.L. 1(d) is to be substituted by following condition No.-8 (a) as :-

8 (a)- Adjustment of Minimum Guaranteed Quantity and Duty Fees:-

(i) The Average Duty Fees for month-wise Minimum Guaranteed Quantity of Foreign Liquor(Spirit) has been calculated on the basis of Rs 125/- per Proof Litre. The Average Duty Fees has been calculated as given below :-

No.	Name of Range	Slab of Landing Price	Duty Rates	Range wise total percentage in Month-wise Minimum Guaranteed Quantity	Duty Amount
1	2	3	4	5	6
1	Cheap	Upto Rupees 800/-	105/-	54.8%	5754/-
2	Medium	From Rupees 801/- to 1100/-	120/-	7.9%	948/-
3	High	From Rupees 1101/- to 1600/-	140/-	22.4%	3136/-
4	Higher	From Rupees 1601 to 2500/-	170/-	11.8%	2006/-
5	Highest	From 2501/- to 4000/-	200/-	2.1%	420/-
6	Premium	From Rupees 4001/- to 10000/-	230/-	0.7%	161/-
7	High Premium	From Rupees 10001/- and above	250/-	0.3%	75/-
				100%	**12500/-**

Note :- The calculation of Duty Slab will be done on the basis of landing price of Chhattisgarh State Beverages Corporation.

(ii) "Hence the licensee shall be liable to lift the entire Minimum Guaranteed Quantity for the month and to deposit the entire Duty Amount fixed as per the above table. But, on the failure of deposition of Duty Amount of the Minimum Guaranteed Quantity according to the above table, the licensee shall be liable for payment of penalty of the slab-wise Duty Amount for the remaining quantity".

"But the quantity of Liquor of lower Duty Rate can be adjusted with the quantity of Liquor of Higher Duty Rate after deposition of difference amount between the two Duty Rates separately". In the same way in rural areas, quantity of Liquor of higher duty rate can be adjusted with quantity of Liquor of lower Duty Rate after deposition of Duty Rate of Higher Duty Rate liquor of specified quantity."

2. This amendment shall be applicable from 01-04-2016.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.